संख्या-455/2025/3075/22-2-2023-17(1000)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सरदार सिंह पुत्र यादराम सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-23888/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-06.07.2023) दिनांक 24.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सरदार सिंह पुत्र यादराम सिंह, ग्राम-महाब, थाना-स्याना, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। प्रथम केस दो लाख रूपये वसूलने की नियत से अपहरण कर दिनांक 20.11.2001 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शराब पिलाकर बेहोश करके गला घोटकर पप्पू अहमद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा दिनांक 21.11.2001 को जितेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की गला घोटकर हत्या कर दी। इस प्रकार घटना में 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-766/2006 में भा०द०वि० की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-01, हरदोई के आदेश दिनांक 06.11.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। प्रथम केस में बंदी द्वारा दिनांक 16.03.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 04 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 01 माह, 22 दिन की सजा भोगी गयी है। द्वितीय केस सउदी अरब भेजे जाने हेतु पासपोर्ट व बीस हजार रूपयें वापस माँगे जाने को लेकर दिनांक 10.07.1995 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मकबूल हुसैन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-905/2006 में भा०द०वि० की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 04.04.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। द्वितीय केस में दिनांक 16.03.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 03 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 03 माह, 24 दिन की सजा भोग ली गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है दोनों पक्षों के मध्य विवाद अभी समाप्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस दो लाख रूपये वसूलने की नियत से अपहरण कर दिनांक 20.11.2001 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शराब पिलाकर बेहोश करके गला घोटकर पप्पू अहमद नानक व्यक्ति की हत्या करने एवं दिनांक 21.11.2001 को जितेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की गला घोटकर हत्या करने तथा द्वितीय केस सउदी अरब भेजे जाने हेतु पासपोर्ट व बीस हजार रूपयें वापस मॉगे जाने को लेकर दिनांक 10.07.1995 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मकबूल हुसैन नामक व्यक्ति की हत्या सहित कुल-03 लोगों की दो केसों में हत्या करने का जघन्य अपराध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सरदार सिंह पुत्र श्री यादराम सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सरदार सिंह (बंदी संख्या-15678) पुत्र यादराम सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-455/2025/3075(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-455/2025/3075/22-2-2023-17(1000)/2023

दिनांक 09 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सरदार सिंह पुत्र यादराम सिंह, ग्राम-महाब, थाना-स्याना, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। प्रथम केस दो लाख रूपये वसूलने की नियत से अपहरण कर दिनांक 20.11.2001 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शराब पिलाकर बेहोश करके गला घोटकर पप्पू अहमद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा दिनांक 21.11.2001 को जितेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की गला घोटकर हत्या कर दी। इस प्रकार घटना में 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-766/2006 में भा०द०वि० की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-01, हरदोई के आदेश दिनांक 06.11.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। प्रथम केस में बंदी द्वारा दिनांक 16.03.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 04 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 01 माह, 22 दिन की सजा भोगी गयी है। द्वितीय केस सउदी अरब भेजे जाने हेतु पासपोर्ट व बीस हजार रूपयें वापस माँगे जाने को लेकर दिनांक 10.07.1995 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मकबूल हुसैन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-905/2006 में भा०द०वि० की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 04.04.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। द्वितीय केस में दिनांक 16.03.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 03 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 03 माह, 24 दिन की सजा भोग ली गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है दोनों पक्षों के मध्य विवाद अभी समाप्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस दो लाख रूपये वसूलने की नियत से अपहरण कर दिनांक 20.11.2001 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शराब पिलाकर बेहोश करके गला घोटकर पप्पू अहमद नानक व्यक्ति की हत्या करने एवं दिनांक 21.11.2001 को जितेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की गला घोटकर हत्या करने तथा द्वितीय केस सउदी अरब भेजे जाने हेतु पासपोर्ट व बीस हजार रूपयें वापस मॉगे जाने को लेकर दिनांक 10.07.1995 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मकबूल हुसैन नामक व्यक्ति की हत्या सहित कुल-03 लोगों की दो केसों में हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सरदार सिंह पुत्र श्री यादराम सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in